
#### भारतीय मानक ब्यूरो



## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), भारत सरकार





## विज्ञापन सं. 03 (वाईपी)/2023/एचआरडी

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक और भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह देश में मानकीकरण, उत्पाद एवं पद्धित प्रमाणन, स्वर्ण/चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग एवं प्रयोगशाला परीक्षण इत्यादि गतिविधियां संचालित करता है।

2. बीआईएस ऐसे भारतीय नागरिकों को अनुबंध आधार पर यंग प्रोफेशनलों के रूप में बीआईएस के साथ काम करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है, जो प्रमाणित शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक उपलब्धि, कम्पयूटर पर टेक्नॉलजी आधारित कौशल की अच्छी कार्यकारी जानकारी तथा प्रबल संवाद एवं पारस्परिक कौशल और नेतृत्व की योग्यता रखते हों। विज्ञापन का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:

क्रम. सं.	गतिविधि	शैक्षणिक अर्हता	प्राप्तांक/ सीजीपीए की न्यूनतम प्रतिशत	पदों की संख्या	कार्य अनुभव*	अधिकतम आयु सीमा	पारिश्रमिक
1	प्रबंधन पद्धति प्रमाणन विभाग (एमएससीडी)	अनिवार्यः 10वीं और 12वीं कक्षा  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में नियमित स्नातक/ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/बीई/बी-टेक  किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मार्केटिंग/सेल्स में नियमित एमबीए या समकक्ष	60%	15	मार्केटिंग या समकक्ष में न्यूनतम तीन (3) वर्ष का अनुभव (अधिमानतः प्रबंधन से परिचित सिस्टम प्रमाणन)	दिनांक 04.08.2023 को 35 वर्ष से कम	₹ 70,000/- (दो वर्ष के लिए निर्धारित)

<sup>\*</sup>दस्तावेजी प्रमाण आवश्यक है।

- 3. कार्य का स्थान: यंग प्रोफेशनलों को उनकी आवश्यकतानुसार भारत में किसी भी स्थान पर तैनात किया जाएगा।
- 4. चयन प्रक्रिया: सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी योग्यता, अनुभव और आवेदन पत्र में दिए गए अन्य विवरणों के आलोक में सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल योग्यता पूरी करने तथा सूचीबद्ध हो जाने से यंग प्रोफोशनलों के रूप में नियुक्त हो जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। सूचीबद्ध उम्मीदवारों को व्यावहारिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, तकनीकी ज्ञान मूल्यांकन, साक्षात्कार इत्यादि के लिए बुलाया जाएगा। बीआईएस के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- 5. नियुक्ति की अवधि : नियुक्ति पूर्णतया संविदा आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए है।
- 6. नियुक्ति की प्रकृति: नियुक्ति पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर है और यह अनुबंध अविध के अंत में निरस्तीकरण के अधीन होगी।
- 7. **पारिश्रमिक**: यंग प्रॉफेशनल को दो साल के लिए निर्धारित 70,000/- रुपये (सत्तर हजार रुपये मात्र) का समेकित मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पारिश्रमिक वैधानिक कटौती के अधीन है।
- 8. टीए/डीए: असाइनमेंट में ज्वाइन होने या उसके पूरा होने पर कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आधिकारिक असाइनमेंट के संबंध में यात्रा करने और रहने की आवश्यकता होती है, तो टीए/डीए और आवास भत्ता, जैसा कि ग्रुप ए यानि कि सहायक निदेशक/ वैज्ञानिक-बी स्तर के नियमित बीआईएस अधिकारी को स्वीकार्य है, का भुगतान किया जाएगा।
- 9. **छुट्टी**: यंग प्रॉफेशनल एक कैलेंडर वर्ष में बारह (12) दिनों के अवकाश के लिए पात्र होंगे। अनुमन्य अवकाश से अधिक अनुपस्थिति की अविध के लिए कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। साथ ही, अप्रयुक्त छुट्टी को न तो अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाएगा और न ही भ्नाया जा सकेगा।
- 10. **कार्यालयीन समय**: यंग प्रॉफेशनल को निर्धारित (अर्थात सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक) कार्यालय के सामान्य कामकाजी घंटों का पालन करना होगा। तथापि, अत्यावश्यकता के अनुसार समयबद्ध कार्य या आउटस्टेशन कार्यों को पूरा करने के लिए देर से बैठना पड़ सकता है। उपस्थिति बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से दर्ज होगी।
- 11. कोई अन्य असाइनमेंट नहीं: नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर है और यंग प्रॉफेशनल बीआईएस में नियुक्ति की अविध के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे।
- 12. यात्रा, चिकित्सा, उपचार और सेवा के दौरान मृत्यु अथवा बीमारी: अनुबंध की शर्तों के तहत बीआईएस की ओर से सेवाओं के निष्पादन से संबंधित, और/अथवा अनुबंध के तहत बीआईएस या भारत सरकार के किसी कार्यालय या परिसर में आधिकारिक डयूटी या किसी सेवा का निष्पादन करते हुए किसी यंग प्रोफशनेल की मृत्यु, क्षिति या बीमारी की स्थिति में वह यंग प्रोफेशनल या उस यंग प्रॉफेशनल के आश्रित, जैसा भी उपयुक्त हो, किसी भी क्षितिपूर्ति या किसी भी दावे के हकदार नहीं होंगे।
- 13. मेडिकल फिटनेस और पुलिस सत्यापन: यंग प्रॉफेशनल की नियुक्ति के बाद पुलिस सत्यापन किया जाएगा। यंग प्रॉफेशनल को नियुक्ति के समय किसी प्राधिकृत/पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा।
- 14. अनुबंध / नियुक्ति की समाप्ति: यंग प्रॉफेशनल की नियुक्ति को बीआईएस द्वारा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए उन्हें 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। हालाँकि, यदि अधिकारी इस्तीफा देना चाहता है, तो उसे पद से इस्तीफा देने से पहले 30 दिनों का अग्रिम नोटिस या उसके एवज में पारिश्रमिक वापिस करनी होगी।

### 15. डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता:

- (क) बीआईएस के लिए एकत्र किए गए डेटा के साथ-साथ डिलिवरेबल्स के बौद्धिक संपदा अधिकार बीआईएस के पास रहेंगे।
- (ख) बीआईएस में अपने असाइनमेंट के लिए एकत्र की गई जानकारी डेटा या सांख्यिकीय या कार्यवाही के किसी भी हिस्से का उपयोग या प्रकाशन न किया जाए या किसी तृतीय पक्ष को उसका खुलासा न किया जाए।
- (ग) यंग प्रॉफेशनल अनुबंध की समाप्ति से पहले या अंतिम भुगतान जारी होने से पहले असाइनमेंट के रिकॉर्ड के पूरे सेट को बीआईएस को सौंपने के लिए बाध्य है।
- (घ) यंग प्रॉफेशनल की नौकरी गोपनीय रूप से उच्चतम मानकों की मांग करती है और सभी स्तरों पर अधिकारी के सभी कार्यों में इसे बनाए रखने की अपेक्षा है।
- 16. **हितों का टकराव**: नियुक्त यंग प्रॉफेशनल किसी भी मामले में बीआईएस के हितों के विपरीत किसी भी मामले में दूसरों का प्रतिनिधित्व या राय या सलाह नहीं देंगे।

## 17. अन्य नियम और शर्तें और सामान्य अनुदेश

- i) अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि यदि नियुक्ति के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थियों ने कोई झूठी / मनगढ़ंत जानकारी / दस्तावेज जमा किए हैं तो उनकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी और वह कानून / नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- ii) अभ्यर्थियों के पास एक वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर दर्ज किया जाना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक सक्रिय/वैध रहना चाहिए। एक बार सबिमट करने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत या समाप्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- iii) अभ्यर्थी ध्यान दें कि नियक्ति के सभी चरणों में उनकी उम्मीदवारी पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर है।
- iv) किसी भूल-चूक/विचलन की स्थिति में ब्यूरो यथा परिस्थिति अधिसूचित रिक्तियोयों और इस विज्ञापन के किसी प्रावधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा विज्ञापन एवं अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- v) चेतावनी: ब्यूरो में चयन स्वतंत्र, निष्पक्ष और योग्यता आधारित है। किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास सेवा से अभ्यर्थिता की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- vi) नियुक्ति की प्रक्रिया सिहत इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

- 18. आवेदन पत्र जमा करना: अभ्यर्थियों को केवल बीआईएस वेबसाइट यानी www.bis.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा। रोजगार समाचार/एम्प्लोयमेंट न्यूज में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 15.07.2023 से आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल प्रारंभ कर दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 04.08.2023 होगी। किसी भी परिस्थित में आवेदन जमा करने का कोई अन्य माध्यम/तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। समय सीमा के बाद प्राप्त या किसी तकनीकी खराबी के कारण प्राप्त न होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 19. आवेदन शुल्क: आवेदक को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- 20. **घोषणाएं**: इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/विवरण समय-समय पर केवल बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पर ही प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण और जानकारी के लिए नियमित रूप से अधिकृत बीआईएस वेबसाइट www.bis.gov.in के संपर्क में रहें। किसी भी प्रश्न/पूछताछ के मामले में कृपया ypmscd.hrd@bis.gov.in पर लिखें।

प्रमुख (एचआरडी)

ईमेल: ypmscd.hrd@bis.gov.in

नोट: बीआईएस बिना कोई कारण बताए प्रक्रिया और/रद्द/पुनर्निर्धारित/या आवश्यकताओं को संशोधित/ निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीआईएस का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### **BUREAU OF INDIAN STANDARDS**



# Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Govt. of India

Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002



#### Advertisement No. 03 (YP)/2023/HRD

Bureau of Indian Standards (BIS), a statutory body under the administrative control of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Govt. of India is the National Standards Body of India and is responsible for activities in the field of Standardization, Product and System Certification, Hallmarking, Laboratory Testing etc., in the country.

2. BIS offers excellent opportunities to Indian nationals with proven academic credentials, professional achievements, good working knowledge of technology based skills on the computer, strong communication and interpersonal skills and leadership qualities for engaging with BIS as Young Professionals (YPs). The details of the advertisement are as follows:-

S. N o.	Activity	Educational Qualifications	Minimum percentage of marks/	No. of Post	Work Experience*	Upper age Limit	Remunerat ion
			CGPA	S			
1	Management System Certification Department (MSCD)	Essential: 10 <sup>th</sup> & 12 <sup>th</sup> standard  Regular Graduation in any discipline/ Diploma in Engineering/ BE/B-Tech from a recognized University.  Regular MBA or equivalent in Marketing/ Sales from a	60%	15	Minimum of three (3) years of experience in Marketing or equivalent fields (Preferably conversant with Management	Below 35 years of age as on 04.08.2023	Rs. 70,000/- (fixed for two years)
		recognized University			System Certification)		

<sup>\*</sup> Documentary proof is required.

- 3. Job Location: Young Professionals shall be posted anywhere in India depending upon the requirement.
- **4. Selection Process:** All the applications received shall be scrutinized and shortlisted. Candidates will be shortlisted in the light of their qualifications, experience and other detailed provided in the application form. Mere fulfillment of qualification or shortlisting shall not confer any right to be engaged as Young Professionals. Shortlisted candidates will be called for practical assessment, written assessment, technical knowledge assessment, interview, etc. BIS reserves the right to reject any or all applications without assigning any reason thereof.
- 5. Tenure of Engagement: The engagement is purely on contract for a period of Two years.
- **6. Nature of Engagement**: The engagement is purely on contract basis and the engagement will be subject to termination at the end of contract period.
- **7. Remuneration**: A consolidated monthly remuneration of Rs.70,000/- (Rupees Seventy Thousand only), fixed for two years, will be paid to the Young Professional. The remuneration is subject to statutory deductions.
- **8.** TA/DA: No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. If required to travel and stay in connection with the official assignment, TA/DA and lodging allowance as admissible to a regular BIS officer of the Level of Sc-B/Assistant Director, will be paid.
- **9. Leave**: Young Professional shall be eligible for Twelve (12) days leave in a calendar year. No remuneration for the period of absence in excess of admissible leave will be paid. Also, un-availed leave shall neither be carried forward to next year nor en-cashed.

- **10. Working Hours**: The Young Professional shall follow the normal office working hours as prescribed (i.e. 9.00AM to 5.30PM). However, as per the exigency one has to sit late to complete the time bound work or outstation assignments. Attendance would be made through Bio-metric attendance system.
- 11. No Other Assignment: The engagement is on full-time basis and Young Professional shall not take any other assignment during the period of engagement in BIS.
- 12. Travel, Medical Clearance and Service incurred Death, Injury or illness: In the event of the death, injury or illness of the individual YP which is attributable to the performance of services on behalf of BIS under the terms of the contract, and/or while travelling for official duty or is performing any services under the contract in any offices or premises of BIS or Government of India, the individual YP or the individual YP's dependents, as appropriate shall not be entitled to any compensation or any claim whatsoever.
- 13. Medical fitness and Police Verification: Police verification will be conducted after the engagement of the YPs. The YPs will also submit, a medical fitness certificate from a authorized/registered Medical Practitioner, at the time of joining.
- **14. Termination of Contract/Engagement**: The engagement of Young Professional can be terminated by BIS at any time without assigning any reasons thereof by giving them 30 days' notice. However, in case the officer wishes to resign, he/she will have to give 30 days' advance notice or remuneration in lieu of thereof, before resigning from the engagement.

#### 15. Confidentiality of Data and Documents:

- (a) The intellectual property rights of the data collected as well as deliverables produced for the BIS shall remain with BIS.
- (b) The data shall not be utilized or published or disclosed or to be part with, to a third party, any part of the data or statistical or proceedings or information collected for the purpose of his assignment in BIS.
- (c) The Young Professional is bound to hand over the entire set of records of assignment to the BIS before the expiry of contract or before the final payment is released.
- (d) The job of Young Professional attracts highest standards of confidentially and it is expected to be maintained in all the actions of officer, at all levels.
- **16. Conflict of Interest**: The Young Professional appointed, shall in no case represent or give opinion or advice to others in any matter which is in conflict to the interest of BIS.

#### 17. OTHER TERMS AND CONDITIONS AND GENERAL INSTRUCTIONS

- i) Candidates should note that, if at any stage of engagement, it is found that the candidates has submitted any false/fabricated information/documents, his/her candidature will be cancelled immediately and he/she will be liable for action as per Law/Rules.
- ii) Candidates should have a valid e-mail ID & Mobile No. which should be entered at appropriate place in the application form and must remain active/valid until recruitment processes are completed. No change in the email ID & mobile number will be accepted once submitted. The candidate himself/herself shall be responsible for wrong or expired email ID & mobile number.
- iii) Candidate should note that their candidature at all stages of engagement is purely on contract basis.
- iv) Bureau reserves the right to amend/modify vacancies notified and any provision of this advertisement in case of any errors and omissions/deviation or to cancel the advertisement and engagement if the circumstances so warrant.
- v) Warning: Selection in the Bureau is free, fair and merit based. Any attempt to influence the selection process detected at any stage is liable to lead to termination of the candidature of service and legal action against the concerned individual will be initiated.

- vi) Any resulting dispute arising out of this advertisement including the engagement process shall be subject to the sole jurisdiction of the Courts situated at Delhi.
- **18.** Submission of Application: Candidates are required to apply On-line through BIS website only i.e. www.bis.gov.in. Online portal for submission of applications will be made functional from 15.07.2023 (the date of publication of advertisement in Employment News/Rozgar Samachar). The closing date for applying will be 04.08.2023. No other means/mode of submission of applications will be accepted under any circumstances. Applications received after the deadline or missed due to any technical glitches shall not be entertained.
- 19. Application fees: No fees are required to be paid by the applicant.
- **20. Announcements:** All further announcements/details pertaining to this process will only be published/provided on BIS website **www.bis.gov.in** from time to time. Candidates are advised to regularly keep in touch with the authorized BIS website **www.bis.gov.in** for details and updates. In case of any queries please write to **ypmscd.hrd@bis.gov.in**.

Head (HRD) Email: ypmscd.hrd@bis.gov.in

Note: BIS reserves the right to Revise/Reschedule/Cancel/Suspend the process and/or requirements without assigning any reasons. The decision of BIS shall be final and no appeal shall be entertained.